RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में महिलाओं का राजनीतिक विकास

डॉ. आकांक्षा गौर

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय कानपुर

प्रस्तावना

देश में आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिये पर है। यह तब है जबकि यहां जितनी भी महिलाओं को राजनीति के निचली पायदान से ऊपरी पायदान तक जितना भी, जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी काबीलियत की छाप छोड़ी। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए लाया गया महिला आरक्षण विधेयक कुछ पार्टियों के रवैये के चलते सालों से लंबित पड़ा है। इससे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी 10-15 फीसदी से अधिक महिलाओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती हैं। यही नहीं, राजनीतिक भागीदारी की अहम प्रक्रिया मतदान में भी महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों की राय के मुताबिक मतदान करती रही हैं । इन सभी कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद देश की महिलाएं राजनीति में न सिर्फ आगे आईं बल्कि उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को नेतृत्व भी दिया। संसद और विधानसभा में गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी और उचित निर्णय लिए। देश की आम औरतें भी चुनाव पर अपना लगातार असर डाल रही हैं। पिछले दो साल में हुए विधानसभा चुनावों में अधिकतर राज्यों में मतदान करने के मामले में महिलाएं पुरुषों आगे ही रही हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया ही नहीं अपितु समग्र समाज में महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी को देखकर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में किसी मार्ग पर भी महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित नहीं है। महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में हाल ही में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में न्यायलय ने कड़ा रुख अपनाते हुए महिलाओं को बराबरी का मूल अधिकार प्रदान किया है।

पिछले दशक में, यह निरंतर अनुभव किया गया है कि महिलाओं की पर्याप्त सहभागिता नहीं हो पाई है जिसका एक कारण मतदान अथवा उम्मीदवारी से बाहर होना रहा है। इसमें काफी उतार.चढ़ाव देखा गया है क्योंकि विधोचित महिलाओं द्वारा ही वोट देने की सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। महिला वोटरों की इस प्रकार वर्जन में वृद्धि से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो की निम्न जाति एंव वर्ग की महिलाएँ स्वयं की राजनीतिक चेतना की बजाय स्वयं संगठित होकर एक उच्च स्तर पर गतिशील हो सकती हैं। हालांकि महिला वोटरों की इस गतिशीलता का यह अर्थ नहीं कि स्थानीय, राज्यीय या राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो जाएगी। तथापि राजनीति में महिलाओं से संबंधित अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि महिलाओं में राजनीतिक सशक्तीकरण का अभाव तथा उनके सम्मुख सीमाएँ एवं चुनौतियाँ उन्हें देश के राजनीतिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने में असमर्थ बना देती हैं। ऐसे असंख्य घरेलू एंव सार्वजनिक कारक हैं जो महिलाओं को लोकतंत्र में चुनावी युद्ध लड़ने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए - राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में संकोच या अनिच्छा, सामाजिक बंधन एवं आदर्श, लैंगिक पक्षपात, पारिवारिक प्रतिबंध, आर्थिक संसाधन एवं कोषगत सामर्थ्य , पार्टी प्रबंधकों द्वारा राजनीतिक समर्थन, संगठन, चरित्र हनन का भय, विलक्षण लैंगिक प्रचार और उससे भी अधिक महिला प्रत्याशी के प्रति वोटर का दृष्टिकोण आदि।

राज्य एवं उसके संगठनात्मक प्राधिकरण निर्णय एवं नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को बराबर अधिकार प्रदान करते हैं परंतु कुछ सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक इस मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। भारत जैसे लोकतंत्रिक देश में पुरुष एवं स्त्री राजनीतिक कार्यालयों में कार्य करने के लिए समान एवं कानूनी रूप से योग्य है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं के भारतीय जनसंख्या का आधा भाग होने के बाद भी राज्य एवं केंद्रीय विधानमण्डलों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या नाम मात्र की है। यह असमानता समाज के लगभग आधे लोगों को संपूर्ण राष्ट्र की महिलाओं के विकास के लिए अपने विचार एवं आकांक्षाएँ अभिव्यक्त करने से रोकती है।

भारतीय राजनीति में काफी समय में आधी आबादी का दखल रहा है। 70 सालों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। वर्तमान दौर में भी भारतीय राजनीति में महिलाएं अग्रणी हैं। भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के कुछ मुख्य राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका पूरा नेतृत्व और नियंत्रण महिलाओं के हाथ में रहा है और कुछ का अभी भी है। स्वतंत्रता से पहले ही देश में पहली बार 1917 में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी की मांग उठी थी, जिसके बाद वर्ष 1930 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला। हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता और लोकसभा अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर आसीन रही हैं। महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, विशेष रूप से उनके अधिकारों और समानता के सन्दर्भ में 19वीं शताब्दी में मतदान का अधिकार दिया जाना और 20 वीं शताब्दी में गर्भपात का अधिकार, समान वेतन का अधिकार और नर्सरी प्रावधान, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अपनी विशेष उपस्थित दर्ज कराते हैं।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

आजादी के बाद से भारत ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक ऊँची छलांग लगाई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार और समाज को बहुत कुछ बदलने और काम करने की जरूरत है। संसद और विधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या अभी भी कम है । लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए महिला पुनर्वसन विधेयक पर सभी मुख्य दलों द्वारा एक विशेष आक्रोश देखा गया जो की अभी भी महिलाओं को उनके उचित स्थान से वंचित करने को प्रदर्शित करता है। महिला सुरक्षा, महिला शिशुहत्या, कम लिंग अनुपात, महिला निरक्षरता, माताओं की उच्च मृत्यु दर और कई और अधिक समस्याएं अभी भी 21 वीं सदी के भारत में चिंता है ।

महिलाओं के लिए उत्थान परक प्रयासों में राजनीतिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बेहतर स्वस्थ देखभाल और शिक्षा सुधार शामिल होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है जो कि वोट बैंक, पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मकता लाएं । इसलिए वास्तव में निष्पक्ष राजनीतिक संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि राजनीति को दशकों से पल रही कुरीतियों से मुक्त किया जाए । आने वाले समय में राजनीतिक रणनीतिकारों को महिला वोटरों की शक्ति को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनानी होंगी और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा की महिलाओं से किये गये वायदे पूरे हों । शिक्षित महिलाएँ राजनीति में कम संख्या में ही सही पुरुषों के साथ कदम-ताल कर रही है परंतु जब तक वे राजनीतिक संगठनों में जिला या राज्य स्तर की जिम्मेदारी उठाती नहीं दिखेंगी तब तक वे या तो पैराशूट नेतृत्व के द्वारा अथवा आरक्षण के द्वारा ही राजनीतिक तंत्र मे डाली जाती रहेंगी। ऐसे में पुरुष वर्ग को आगे आकर महिलाओं का सहयोग करना चाहिये ताकि महिलाएँ आभूषणों से सज्जित देवी मात्र ना रह जाये बल्कि स्वाभिमानी दुर्गा स्वरूप बन सके ।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि समाज के सभी सदस्यों को ज्ञान और क्रियात्मकता का लाभ प्राप्त हो। आधुनिक समाज में जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो नवीन प्रवित्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही है, उसके अनुरूप परिवार और समाज में स्त्रियों की भूमिका को पुर्नपरिभाषित करने की आवश्यकता है। विवाह की आयु, परिवार के आकार, नगरीकरण, जनसंख्या स्थानान्तरण, मूल्यवृद्धि, जीवन स्तर की उच्चता और निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता इत्यादि परिवर्तन के ऐसे क्षेत्र हैं जो महिलाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। सामाजिक संकटों में निवारण और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाये रखने के लिए महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आवश्यक है। ऐसा न होने पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित न हो सकेगी।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में महिलाओं में राजनीतिक विकास जागृत कर उन्हें पुरूषों के समान स्तर पर लाने के लिए भारतीय समाज एवं प्रशासन दोनों को ही समान रूप से सहयोग करना होगा। गरीबी कम करने, साक्षरता का प्रतिशत बढाने, बेरोजगारी कम करने तथा समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के प्रयासों के केन्द्र में जब तक भारत की असंख्य नारी समूह को नहीं रखा जायेगा तथा जब तक स्वयं महिलायें अपनी स्थिति में बदलाव के लिए चैतन्य नहीं होंगी, तब तक राजनीति और सत्ता दोनों ही महिला विकास और महिलाओं से दूर रहेंगे। यद्यपि कुछ हद तक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई है और वे राजनीतिक वर्चस्व की खोज में चूल्हें-चैके से चौपाल की ओर रूख कर चुकीं हैं। राजनीति में जमीन तलाशती आज महिलायें दहलीज के पार हैं, कल तक उसके जो सपने पलकों में ही चिपके रहते थे, आज उन सपनों ने आकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता और आश्रित स्थिति समाज में पुरूष और स्त्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन है और इस कारण महिलाओं का शोषण होता है सामान्यत: यह माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र पारिवारिक कार्यों तक ही केन्द्रित है तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक उत्पादन कार्यों से विरत रहना चाहिए। मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति और पुरूषों के बराबर उनकी समानता तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को केवल गृहस्थी के कार्य जो कि निजी कार्य है तक केन्द्रित रखा जाये तथा उन्हें सामाजिक रूप से उत्पादक कार्यों में संलग्न न किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण,बुक एनक्लेव, जयपुर
- सिंह करण बहादुर ,महिला अधिकार व सशक्तिकरण ,कुरूक्षेत्र , मार्च 2006
- सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007
- हसनैन, नदीम (2004) समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
- जोशी, पुष्पा (1988) गांधी आन वोमन, सेन्टर फार वोमन'स डेवलपमेन्ट स्टडीज, दिल्ली
- महिला सशक्तिकरण – पंचायती राज एवं महिलाऐं – निधि भारद्वाज, पृ. 189
- कुमार मनोज ''ग्रामीण महिला एवं राजनीतिक सशक्तिकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' मुजफ्फर नगर जिला के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में।
- चन्देल धर्मवीर (2012), ''भारतीय महिला का राजनीतिक अध्ययन''
- परमार शुभ्रा ''भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व के तंत्र''
- बसु, आचार्य डॉ. दुर्गा दास, (2009), भारत का संविधान–एक परिचय, नौवां संस्करण लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थस वधवा, नागपुर

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

- संह, राम गोपाल, (1988),सामाजिक न्याय–डॉ0 अम्बेडकर का अवदान, समाजिकी, खण्ड 8 (नया क्रम), उत्तर प्रदेष समाज–षास्त्र परिशद, पृश्ठ. 17–18.
- गुप्ता, भावना, (2010),भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इषिका पब्लिाषिंग हाउस, जयपुर, पृश्ठ सं–208.
- ज्ञानेन्द्र रावत् औरतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005 पृष्ठ स ंख्या 204।
- सीमा जौहरी, जे0 सी0 जौहरी, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, स्टार्लिग पब्लिशर्स, 2001, पृष्ठ स ं0 239।
- श्रीमती पूजा शर्मा, महिलायें एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृष्ठ संख्या 125।
- राम आहुजा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर जयपुर, 2001, पृष्ठ संख्या 231।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved